

घोषक

जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी
जौनपुर ।

सभा में

प्रबन्धक

शिवद्रत सिंह चिल्ड्रेन एकेडमी अरगुपुर कला
बीबीगंज शाहगंज जौनपुर

पत्रांक /मान्यता / ७४७६

/ 2017-18 दिनांक ८/३/१८

विषय: नि:शुल्क और अनिवार्य वाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये नि:शुल्क और अनिवार्य वाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के उप नियम (4) के अधीन अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र महोदय।

जांच अधिकारी/ सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी की आख्या/ संस्तुति तथा मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (वैसिक) द्वारा मान्यता वाराणसी के अनुग्रहनोपरान्त उम्प्र० शासन, लखनऊ शिक्षा अनुभाग-६ आदेश संख्या -419/79-6-2013 -18(20)/91 दिनांक ०४ मई २०१३ के द्वारा गठित समिति के निर्णय दिनांक 29.03.2018 के अनुक्रम में आप के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ प्रश्नावती पत्राचार/निर्णय के प्रति निर्देश से शिवद्रत सिंह चिल्ड्रेन एकेडमी अरगुपुर कला बीबीगंज शाहगंज जौनपुर को 30.03.2018 से 29.03.2021 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए नर्सरी से कक्षा ०८ तक के लिए अनन्तिम मान्यता प्रदान करने की सम्मुच्छना देता है।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्याधीन है -

- 1- मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा ०८ के पश्चात मान्यता/ संबंधन करने के लिए कोई मान्यता विवक्षित नहीं है।
- 2- विद्यालय नि:शुल्क और अनिवार्य वाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 (उपांध १) और नि:शुल्क अनिवार्य वाल शिक्षा अधिकार नियम 2010 (उपांध २) के उपांधों का पालन करेगा।
- 3- विद्यालय कक्षा ०१ में (या यथा स्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में वालकों की संख्या के २५ प्रतिशत तक अलग प्रतोलग के कमजोर दर्गों और सुविधा विहीन वालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें नि:शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा ही जाने तक उपलब्ध करायेगा।
- 4- पैरा-३ में निर्दिष्ट वालकों के लिए विद्यालय की अधिनियम की धारा १२ की उपधारा(२) उपांधों के अनुसार प्रतिपूर्ति किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तिया प्राप्त करने के लिए एक पृथक दैक खाता छूटेगा।
- 5- सोसाइटी/विद्यालय किसी कंपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा, और किसी वालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
- 6- विद्यालय किसी वालक को उसकी आयु का सदूत न होने के कारण प्रवेश देने से इनकार नहीं करेगा और अधिनियम की धारा १५ के उपांधों को पालन करेगा, विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।
 - प्रवेश दिये गये किसी भी पालन को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसके विद्यालय में निष्कासित नहीं किया जायेगा।
 - किसी भी वालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्याधीन नहीं किया जायेगा।
 - प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी वालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
 - प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक वालक को नियम २५ के अधीन अधिकारित किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
 - अधिनियम के उपांध के अनुसार नि:श्वकरता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
 - अध्यापकों की भर्ती की अधिनियम की धारा २३ (१) अधीन यथा अधिकारित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु यह और की विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताये नहीं है, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसो न्यूनतम अर्हताये अंजित करेंगे।
 - अध्यापक अधिनियम की धारा २४ (१) के अधीन निर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है।
 - अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन-क्रिया कलाओं में नियोजित नहीं करेंगे।
- 7- विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकारित पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
- 8- विद्यालय अधिनियम की धारा १९ में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाये रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधाये निम्नानुसार है -

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल ।

कुल निर्मित क्षेत्रफल ।

क्लोडा रथल का क्षेत्रफल ।

कक्षाओं की संख्या ।

प्रारूप-सह लर्नर्सल, सह भृत्यरम्पर के लिए कक्ष ।

वालकों और बालिकाओं के पृथक शौचालय ।

पेय जल सुविधा ।

मीड-डे-मील पकाने के लिए रसोई ।

बाधा रहित पहुंच ।

अध्यापन पठन शामाग्री/कीड़ा खेलकूद उपरकरो/पुस्तकालय की उपलब्धता ।

- 9- विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाये और नहीं घलाई जाएगी।

Rbsh
Principal
Shivrat Singh Children Academy
Argupur Kalan, Jaunpur (U.P.)

Manager
Shivrat Singh Children Academy
Argupur Kalan, Jaunpur (U.P.)

- 10- विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं वा कीड़ा स्थाल का प्रबोग केवल शिक्षा और कौशल विकास योजनाओं के प्रयोजनाओं के लिए किया जाता है।
- 11- विद्यालय को लोकाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 को 21)के अधीन गठित किसी लोक न्याय द्वारा चलाया जा रहा है।
- 12- स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों में समूह का संगम या किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
- 13- विद्यालय के लखाओं की किसी बाटुई एकाउंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए। और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
- 14- आप के विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्याक ५ है। कृपया इस नोट कर लें, और इस कार्यालय के साथ किसी प्रशासन के लिए इस संख्याक का उल्लेख करें।
- 15- विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो सभ्य - समय पर शिक्षा निदेशक / जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समूचित सरकार / स्थानीय प्राधिकारी के लिए अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के शरत अनुसार सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्य करण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किया जायेगा।
- 16- सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाय।
- 17- सलान उपवन्ध के अनुसार अन्य कोई शर्त।
- 18- मान्यता प्राप्त करने के लिए प्रबन्ध तंत्र द्वारा प्रस्तुत पत्रजात / अभिलेख किसी भी स्तर पर कूट रचित अथवा फर्जी अथवा दूषित पाये जाने पर नियमानुसार मान्यता प्रत्पादित करने की कार्यवाही की जायेगी।
- 19- विद्यालय संचालन में आने वाला वाय विद्यालय प्रबन्ध तंत्र द्वारा अपने निजी ग्रोप से बहन किया जायेगा।

मवदीय

(राजेन्द्र सिंह)
जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी
जौनपुर।

५०८० / मान्यता /

/ 2017-18 दिनांक - उत्तरवत् ।

- प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूधनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेपित ।
- संचार उद्योग वैसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद।
 - मण्डलीय शाहान्धक शिक्षा निदेशक (वैसिक) पंचम मण्डल वाराणसी।
 - खण्ड शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित विकासखण्ड / नगर बोर्ड को इस निर्देश के साथ प्रेपित कि आप विद्यालय का पुन निरीक्षण कर ले और पूर्ण रूपये संतुष्ट हो ले कि विद्यालय भवन नेशनल विलिंग कोड के मानक के अनुसार निर्मित है। और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभिशमन यंत्र कियागील तथा शासनादेश दिनांक 8.05.2013 के द्वारा निर्धारित मानकों की पूर्ति करता है, अन्यथा कि स्थिति में एक सप्ताह के अंदर अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायें।
 - कार्यालय प्रति ।

(राजेन्द्र सिंह)
जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी
जौनपुर।

R. Singh
Principal

Shivbrat Singh Children Academy
Argupur Kalan, Jaunpur (U.P.)

Shivbrat Singh

Manager
Shivbrat Singh Children Academy
Argupur Kalan, Jaunpur (U.P.)

प्रेषक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक
वाराणसी मण्डल वाराणसी

सेवा में

सचिव,

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद
शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र,
ग्रीति विहार, नई दिल्ली।

पत्रांक : एन०ओ०सी०/

/ 2014-15 दिनांक २/२/२०१४

विषय— शिवदत्त सिंह विल्ड्रेन एकेडमी अरगुप्तरकला शाहगंज जौनपुर को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को सी०बी०एस०ई० बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

1. विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय—समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
2. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में संयुक्त शिला नामिता एक सदस्य होगा।
3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ०प्र०माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट इंजिनियरिंग नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेंट्रल बोर्ड आफ सेकेण्ड्री एजूकेशन नई दिल्ली/कौसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट इंजिनियरिंग नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।
5. रास्था के शैक्षिक एवं शिक्षणीत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे।
6. कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुग्रह सेवानिवृत्ति या लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
7. राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।
8. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।

9. उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्णनुग्रहन के बिना कोई परिवर्तन/सशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता वरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदल्ल अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय

डॉ(प्रदीप कुमार)
सचिव, मण्डलीय समिति/
संयुक्त शिक्षा निदेशक
वाराणसी मण्डल वाराणसी

पृ०सं०/एन०ओ०सी०/ ५३३४०

/2014-15 तादिनांक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. राज्यविभाग, राज्यविभाग उ०प्र० शासन लखनऊ।
2. आयुक्त, वाराणसी मण्डल वाराणसी।
3. शिक्षा निदेशक (मा०) उ०प्र० लखनऊ।
4. जिला विद्यालय निरीक्षक जीनपुर।
5. निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय उ०प्र० लखनऊ।
6. प्रबन्धक, शियद्वात सिंह मिल्डेन एकेडमी अरगुप्तरकला शाहगंज जीनपुर।
7. गार्ड फाइल हेतु।

डॉ(प्रदीप कुमार)
सचिव, मण्डलीय समिति/
संयुक्त शिक्षा निदेशक
वाराणसी मण्डल वाराणसी



**Office of the District Basic Education Officer
JAUNPUR**

CERTIFICATE OF SCHOOL RECOGNITION

1. This is to certify that **SHIV BRAT SINGH CHILDREN ACADEMY, Argupur Kalan Bibiganj Shahganj Jaunpur** is permanently recognized for Pre-Primary, Primary and Junior School(class 1 to 8). The Recognition number allotted to SHIV BRAT SINGH CHILDREN ACADEMY is **9896/2017-18**.The applicable terms and conditions of the recognition of your school is annexed.

2. DATE OF ISSUE **25-02-2023(DD/MM/YYYY)**

3. Recognition Type **Old**

4. School Type **Pre-Primary, Primary and Junior School**

5. Recognition No. **9896/2017-18**

DATE:- 25-02-2023

PLACE:- JAUNPUR

District Basic Education Officer

Digitaly signed by DGRAFHNMATH PATEL
Date: 2023.01.05 16:29:58
Reason: For Digital Signature
Location: JAUNPUR